सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/ Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण.पत्र/ Registration Certificate

क्रमांक/ S.No. COOP/2017/JAIPUR/100063

दिनांक/ Date 17-01-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN at district JAIPUR is registered under 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)'.This certificate is issued today under my digital signatures.

Validity unknown

Digitally Signed by Murat Singh Jadawat
Designation : REGISTRAR
Date: 2018.01.17 16:12:35 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

रजिस्ट्रार, संस्थाएं/ Registrar, Institutions

Note: This is a digitally signed certificate and does not required any physical signature. Also, this certificate can be validated using QR Code or online at https://swcs.rajasthan.gov.in/societyregistration/verifycertificate.aspx

Scanned with CamScanner

।। संघ विधान – पत्र ।।

नाम संस्थान	:	एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान, जयपुर
पता	:	मीना छात्रावास, एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी जयपुर।
रजिस्ट्रेशन नं0	:	
फोन नं0	:	
फैक्स नं0	:	
ई–मेल	:	

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीणा)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	SECRETARY ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	TREASURER ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान

जयपुर

संघ विधान–पत्र

1.	संस्थान का नाम	:	इस संस्थान का नाम एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान, जयपुर है व रहेगा।
2.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	:	मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी जयपुर, संपूर्ण राजस्थान रहेगा।

3. संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

1. संस्थान का उद्धेश्य मीना छात्रावास में रहे पूर्व छात्रों को समुचित रूप से जोडकर उनसे समाज एवं जनजाति विकास उत्थान हेतु आवश्यक सुझाव परामर्श व सहायता आदि लेकर जनजाति छात्र–छात्राओं के विकास को मूर्त रूप प्रदान करना।
2. संस्थान द्वारा जनजाति छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहन एवं अच्छे अवसर प्राप्त करने हेतु सरकारों द्वारा चलाई जा रही जनजाति विकास परियोजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करना एवं विकास योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
3. संस्थान द्वारा प्रतिभावान छात्र–छात्राओं का चयन कर उन्हें उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें तदानुकूल सुविधायें एवं वातावरण उपलब्ध करना ताकि वे अपनी प्रतिभा के अनुकूल समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सके एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर सके।
4. संस्थान के द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करना जिसमें संस्थान के छात्र जो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा में चयनित तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थान एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त छात्रों के द्वारा मीना छात्रावास जयपुर एवं अन्य अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	SECRETARY ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	TREASURER ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

5. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न शिविर आयोजन करवाना। प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन करना तथा गरीब एवं निर्बल असहाय प्रतिभावान छात्र–छात्राओं का चयन कर उनको आर्थिक सहायता एवं पाठ्य सामग्री आदि उपलब्ध कराना तथा उन्हे पढाई के लिए प्रेरित करना एवं तदानुसार व्यवस्था करना।
6. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति वर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श कर उनके निदान हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करना एवं यथासम्भव उनका समाधान करना।
7. संस्थान के द्वारा प्रतिबद्धता से यह सुनिश्चित करना कि पूर्व में सिविल सेवाओं एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं मे चयनित व्यक्तियों द्वारा भी छात्रावास एवं समाज एवं जनजाति के विभिन्न छात्रावासों में आवश्यक रूप से प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया जावें जिससे नव छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन एवं उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा एवं सकारात्मक सोच विकसित हो सके।
8. संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा यह प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थान पूर्ण तथा गैर–राजनीतिक रहे एवं किसी भी प्रकार के वाद–विवाद से दूर रहते हुए समाज एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को पूर्ण प्रशिक्षण एव सहायता आदि उपलब्ध कराकर उन्हें उच्च स्तर पर पहुँचाने का कार्य किया जावे। समाज में व्याप्त कुरूतियों आदि का यथा सम्भव उन्मूलन किया जाना।
9. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 25 सितंबर को संस्थान के सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से आम सभा में बुलाना एवं मीना छात्रावास स्थापना दिवस का आयोजन करना तथा इसी उपलक्ष्य पर संस्थान के गत वार्षिक कार्यों का अनुमोदन करना तथा आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करना।
10. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के खेल के क्षेत्र में तलाश कर उन्हे एक मंच के रूप में सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करवाना। उन्हें आगे बढ़ने के लिए यथा सम्भव संसाधन उपलब्ध करवाना। शोध एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करना एवं इसको प्रोत्साहन प्रदान करना।
11. समाज में व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाना एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए उचित मंच व मार्गदर्शन देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सुण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान जयपुर

संघ विधान नियमावली

1. संस्थान का नाम : इस संस्थान का नाम एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान, जयपुर है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र : मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी जयपुर, संपूर्ण राजस्थान तक सीमित रहेगा।

3. संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

   1. संस्थान का उद्धेश्य मीना छात्रावास में रहे पूर्व छात्रों को समुचित रूप से जोड़कर उनसे समाज एवं जनजाति विकास उत्थान हेतु आवश्यक सुझाव परामर्श व सहायता आदि लेकर जनजाति छात्र–छात्राओं के विकास को मूर्त रूप प्रदान करना।
   2. संस्थान द्वारा जनजाति छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहन एवं अच्छे अवसर प्राप्त करने हेतु सरकारों द्वारा चलाई जा रही जनजाति विकास परियोजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करना एवं विकास योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
   3. संस्थान द्वारा प्रतिभावान छात्र–छात्राओं का चयन कर उन्हें उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें तदानुकूल सुविधायें एवं वातावरण उपलब्ध करना ताकि वे अपनी प्रतिभा के अनुकूल समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सके एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर सके।
   4. संस्थान के द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करना जिसमें संस्थान के छात्र जो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा में चयनित तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थान एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त छात्रों के द्वारा मीना छात्रावास जयपुर एवं अन्य अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीणा)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

5. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न शिविर आयोजन करवाना। प्रशिक्षण कैम्पो का आयोजन करना तथा गरीब एवं निर्बल असहाय प्रतिभावान छात्र–छात्राओं का चयन कर उनको आर्थिक सहायता एवं पाठ्य सामग्री आदि उपलब्ध कराना तथा उन्हे पढाई के लिए प्रेरित करना एवं तदानुसार व्यवस्था करना।
6. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति वर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श कर उनके निदान हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करना एवं यथासम्भव उनका समाधान करना।
7. संस्थान के द्वारा प्रतिबद्धता से यह सुनिश्चित करना कि पूर्व में सिविल सेवाओं एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित व्यक्तियों द्वारा भी छात्रावास एवं समाज एवं जनजाति के विभिन्न छात्रावासों में आवश्यक रूप से प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया जावें जिससे नव छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन एवं उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा एवं सकारात्मक सोच विकसित हो सके।
8. संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा यह प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थान पूर्ण तथा गैर–राजनीतिक रहे एवं किसी भी प्रकार के वाद–विवाद से दूर रहते हुए समाज एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को पूर्ण प्रशिक्षण एव सहायता आदि उपलब्ध कराकर उन्हें उच्च स्तर पर पहुँचाने का कार्य किया जावे। समाज में व्याप्त कुरूतियों आदि का यथा सम्भव उन्मूलन किया जाना।
9. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 25 सितंबर को संस्थान के सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से आम सभा में बुलाना एवं मीना छात्रावास स्थापना दिवस का आयोजन करना तथा इसी उपलक्ष्य पर संस्थान के गत वार्षिक कार्यों का अनुमोदन करना तथा आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करना।
10. संस्थान द्वारा समाज एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के खेल के क्षेत्र में तलाश कर उन्हे एक मंच के रूप में सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करवाना। उन्हें आगे बढ़ने के लिए यथा सम्भव संसाधन उपलब्ध करवाना। शोध एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करना एवं इसको प्रोत्साहन प्रदान करना।
11. समाज में व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाना एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए उचित मंच व मार्गदर्शन देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

ह0 अध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)
PRESIDENT
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

ह0 मंत्री
(फतेहराम मीना)
SECRETARY
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

ह0 कोषाध्यक्ष
(जगदीश प्रसाद मीणा)
TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

4.	सदस्यता	: निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्थान के सदस्य बन सकेंगे :–
		1. मीना छात्रावास में रहा हुआ हो।
		2. बालिग हो।
		3. पागल / दीवालिये न हो।
		4. संस्थान के उददेश्यों मे रूचि व आस्था रखते हो।
		5. संस्थान के हित को सर्वोपरि समझते हो।
5.	सदस्यों का वर्गीकरण	: 1. विशिष्ठ
		2. सम्माननीय
		3. साधारण
6.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।
		1. विशिष्ट – राशि 21000 / – आजन्म
		2. सम्मानीय – राशि 11000 / – आजन्म
		3. साधारण – राशि 1100– / आजन्म
		उक्त राशि एकमुस्त जमा कराई जा सकेगी।
7.	सदस्यता से निष्कासन	: संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–
		1. मृत्यु होने पर।
		2. त्याग पत्र देने पर।
		3. संस्थान के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर एवं संस्थान में अकारण ही सहयोग नहीं करने पर।
		4. प्रबन्ध संस्थान द्वारा दोषी पाये जाने पर।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

उक्त निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में संस्थान में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्थान के उपनियम संस्थान 5 में वर्णित सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगें :–

1. प्रबन्ध संस्थान का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्ध संस्थान द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन कराना।

रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्याक्ष/मंत्री द्वारा कभी विशेष सभा भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

ह0 अध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)
PRESIDENT
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

ह0 मंत्री
(फतेहराम मीना)
SECRETARY
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

ह0 कोषाध्यक्ष
(जगदीश प्रसाद मीणा)
TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS
ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 15 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।

5. संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 5 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. प्रबन्ध संस्थान का गठन : संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध संस्थान का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें :–

1. अध्यक्ष :– सूण्डाराम मीणा
2. उपाध्यक्ष – (1) डॉ. पप्पू राम मीना
   (2) विजेन्द्र मीना
   (3) हंसराज मीना
3. मंत्री :– फतेह राम मीना
4. कोषाध्यक्ष :– जगदीश प्रसाद मीणा
5. मिडिया सचिव :– मेघराज मीना
6. सदस्य :– 15

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

(उक्त पदो के अतिरिक्त पद या पद का नाम परिवर्तन किये जावें तो यहाँ अंकित न करें।) इस प्रकार प्रबन्ध संस्थान 05 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

12. प्रबन्ध संस्थान के निर्वाचन :
1. संस्थान की प्रबन्ध संस्थान का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. प्रबन्ध संस्थान के अधिकारी और कर्तव्य : संस्थान की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी और कर्तव्य होंगे :–
1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्थान की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्ते का निर्धारण करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति करना।

14. प्रबन्ध संस्थान की बैठकें :
1. प्रबंध संस्थान की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारणी की कुल संख्या से आधे से अधिक होगा।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	SECRETARY ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST ... THAN JAIPUR	TREASURER ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

3. बैठक की सूचना प्रायः 15 दिवस पूर्व दी जावेगी तथा अतिआवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्ध संस्थान के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्थान की प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

<u>अध्यक्ष</u> :–

1. बैठक की अध्यक्षता करना
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सुण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश-प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

मंत्री :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अधिकारों का प्रयोग करना एवं प्रबंध कार्यकारी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा व्यय पास करना।
5. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना तथा कानूनी दस्तावेजों पर संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रशीद देना एवं रसीद बुक का संधारण करना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	SECRETARY ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	TREASURER ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

16. संस्थान का कोष : संस्थान का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन होगा।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार : संस्थान के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे (किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से आवश्यकतानुसार)

1. अध्यक्ष :– सूण्डाराम मीणा
2. मंत्री :– फतेह राम मीना
3. कोषाध्यक्ष :– जगदीश प्रसाद मीणा

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18. संस्थान का अंकेक्षण : संस्थान के समस्त लेखे–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।

19. संस्थान के विधान में परिवर्तन : संस्थान के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	SECRETARY ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	TREASURER ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner

20. संस्थान का विघटन	:	यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्थान को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21. संस्थान के लेखे जोखे का निरीक्षण	:	रजिस्ट्रार संस्थायें को संस्थान के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
22. धारा 4 का प्रावधान	:	संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रति वर्ष अपने लेखे जोखे व सूचनायें समय पर प्रस्तुत किये जावेगें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) एलुमिनाई मीना छात्रावास अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान, जयपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

ह0 अध्यक्ष	ह0 मंत्री	ह0 कोषाध्यक्ष
(सूण्डाराम मीणा)	(फतेहराम मीना)	(जगदीश प्रसाद मीणा)
PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER
ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR	ALUMNI MEENA CHHATRAWAS ST VIKASH SANSTHAN JAIPUR

Scanned with CamScanner